

न्यायालय उपखण्ड

अधिकारी

कठूमर जिला अलवर

तारीख रजु.....

सल नं. | 1/29/16

बनाम

लोकेश वमैटस

रघुवीर


| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 17.02.2016 | <p>वकील वादी उपस्थित। यह मूल वाद वादी की ओर से वकील वादी ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। वाद दर्ज रजि0 हो। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.03.2016 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p> <p><i>5/2/16</i> प्रजापती लोकाश्री जज के डेयर्ड। वकील वादी आदेश दिनांक 17/2/16 पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30/3/16 को पेश हो</p> | |
| 30/3/16 | <p>प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में रजुने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली लोक अदालत में पेश की जा रही है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p> <p style="text-align: center;"><i>श्रीजा शान</i></p> | <p><i>जोडिफ</i> 1155 30/3/16</p> |
| 9/6/16 | <p>पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में पेश हुई।</p> <p>पक्षकार <i>सहजत</i></p> <p>नहीं होने के कारण प्रकरण को हो गया। अतः पत्रावली दिनांक 29/8/16 में पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p> | |
| 28/8/16 | <p>वकील वादी उपस्थित</p> <p>साथिक आदेश दिनांक 17/2/16 की फालत में पत्रावली वास्ते दिनांक 27/10/16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p> | |

| | | |
|-------|------------------------------------|---|
| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------|------------------------------------|---|

17/4/22


वकालत
वकील रवि शंकर कर्मा

21/6/22



21/6/22


वकालत
साक्षिण अन्वेषण विभाग
की पालनी में पत्र दिनांक 02/8/22



कर्म (अलवर)

2/8/22

पुस्तक नॉरीफेन एच.प.ओ.
वाकालत दिनांक 10/10/22
को भेज दो



06/9/22

पञ्जाबली आन कर्मा के आठ पत्र पर लक्ष्मी
देवी के पत्र है। कर्मा के आठ पत्र में शामिल पत्र पर
आपने पत्र को इस स्टेज पर खारिज
किये जाने का विवेकन किया गया। अब दावा
क पञ्जाबली को अवरलोकन दिनांक 10/10/22
किया। इस दावा कर्मा के आठ पत्र के
आधार पर इस स्टेज पर खारिज किया जाना
है। पञ्जाबली को लक्ष्मी देवी नामक नामक पत्र को
आठ पत्रों में जिला अधिकारी लेख भेजा है।



उपस्थंड अधिकारी
कर्म (अलवर)